उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-1632/सोलह-2-2022
लखनऊ:दिनांक: 25 अक्टूबर,2022

<u>नियुक्ति/विज्ञप्ति</u>

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण के 04 पदो पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण के पद पर वेतनमान रू0-15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0-5400/- में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	गृह जनपद	तैनाती संस्था का नाम
1	2	3	4	5
1-	1	श्री जीनत आरिफ पुत्री श्री आरिफ अली सिद्दीकी	कानपुर नगर	महामाया पालीटेक्निक ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, औरैया
2-	3	श्री अरूण कुमार पाल पुत्र श्री हृदय राम पाल	गोण्डा	राजकीय पालीटेक्निक, मोहम्मदपुर, बहराइच
3-	4	श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मिश्री लाल	लखीमपुर खीरी	राजकीय पालीटेक्निक, मोहम्मदपुर, बहराइच

2- संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3- संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4- संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी। उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संबंधित अभ्यर्थी को 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

5- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर संबंधित अभ्यर्थियों के अनिवार्य योग्यताओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय से करा लेंगे और यदि संबंधित अभ्यर्थी के मूल अभिलेख त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये जाते हैं, तो संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध संगत धाराओं में विधिक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायेंगे। तदोपरान्त उक्त के संबंध में उनकी नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र शर्मा
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर को मा0 आयोग से प्राप्त संबंधित अभ्यर्थियों के मूल प्रपत्रों की प्रतियां संलग्नकों सहित उक्त के साथ इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रपत्रों को संबंधित की व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित करने का कष्ट करें।

............/2/

Scanned with CamScanner